

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5203
02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य

5203. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि चीनी और इथेनॉल के न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) में तद्रूप वृद्धि किए बिना गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में निरंतर वृद्धि से चीनी मिलें वित्तीय संकट में आ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चीनी उद्योग की संधारणीयता पर इस असंतुलन के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ.) क्या सरकार के पास चीनी उद्योग के अस्तित्व को बनाए रखने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बढ़ती एफआरपी के अनुपात में चीनी और इथेनॉल के एमएसपी को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गन्ना किसानों को उचित लाभ सुनिश्चित करने के साथ ही चीनी मिलों को उनकी वित्तीय व्यवहार्यता के प्रबंधन में सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

(क) से (ग): वर्तमान में, चीनी का अखिल भारतीय औसत एक्स-मिल मूल्य उचित स्तर पर है। इसके अलावा, देश भर की चीनी मिलें चीनी के उत्पादन की लागत को पूरा करने में सक्षम हैं।

चीनी की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय के अलावा, गन्ने की खोई, गन्ने का शीरा और प्रेस मड जैसे विभिन्न उप-उत्पाद भी चीनी मिलों के राजस्व में वृद्धि कर रहे हैं। एफआरपी के वर्तमान स्तर पर गन्ने की लागत और चीनी की रूपांतरण लागत को ध्यान में रखते हुए, देश भर की चीनी मिलों की लाभप्रदता का पर्याप्त मार्जिन है।

अतिरिक्त स्टॉक का निपटान करने तथा मिलों से बाहर चीनी की कीमत को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने वर्तमान चीनी मौसम के दौरान 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। 10 लाख टन निर्यात कोटा आबंटित किए जाने से न केवल देश भर की चीनी मिलों की लिक्विडिटी बढ़ेगी, बल्कि गन्ना किसानों को समय पर गन्ना बकाया के भुगतान करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने हाल ही में सी हैवी शीरा से बने इथेनॉल की कीमत में भी संशोधन किया है।

सरकार द्वारा समय पर नीतिगत हस्तक्षेप करके तीनों प्रमुख हितधारकों, उपभोक्ताओं, किसानों और चीनी मिलों के हितों की रक्षा की गई है।

(घ) एवं (ङ): चीनी उद्योग संघों और हितधारकों से चीनी के एमएसपी को बढ़ाने के लिए विभिन्न अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श कर रही है और इस पर टिप्पणियां मांग रही है।

(च): भारत सरकार ने किसानों को गन्ना बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले चीनी मौसम 2023-24 तक किसानों को गन्ना बकाया का 99.9% भुगतान सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान चीनी मौसम 2024-25 के लिए दिनांक 21.03.2025 तक 83% से अधिक गन्ना बकाया का भुगतान किया जा चुका है।

इसके अलावा, चीनी मिलों की लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार करने और उन्हें किसानों के गन्ना बकाया का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में विभिन्न उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

क). अधिशेष चीनी का उपयोग इथेनॉल के उत्पादन में लगाने से चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ।

ख). चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई ताकि चीनी मिलों के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजित किया जा सके जिससे अंततः वे किसानों को समय पर गन्ना भुगतान करने में सक्षम हो सकें।

ग). मिलों को 16500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014-2021 के दौरान किसानों के बकाये का भुगतान किया गया।
